

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-31082026-275876
SG-DL-E-31082026-275876असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 27, 2026/भाद्र 5, 1948	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 185
No. 249]	DELHI, THURSDAY, AUGUST 27, 2026/BHADRA 5, 1948	[N. C. T. D. No. 185

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIउच्च शिक्षा निदेशालय
अधिसूचना

दिल्ली, 27 अगस्त, 2026

फा.स. डीएचई-डी011/1/2026-जीजीएसआईपीयू ब्रांच/325644.—दिल्ली व्यावसायिक महाविद्यालयों या संस्थानों (समानता एवं उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु कैपिटेशन शुल्क प्रतिबंध, प्रवेश के विनियमन, शोषण रहित शुल्क का निर्धारण और अन्य उपाय) अधिनियम, 2007 (2007 का दिल्ली अधिनियम 8) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में विभिन्न पाठ्यक्रम करवाने वाले निजी प्रबंधन संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया को विनियमित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रवेश नियामक समिति का गठन करती है जोकि अधिनियम द्वारा दिये गये प्रावधानों के तहत कार्य का निष्पादन करेगी :

- | | |
|--|-----------|
| 1. श्री योगेन्द्र चौधरी, आई.आर.एस. (रिटायर्ड) | — अध्यक्ष |
| 2. डा० सुरेश कुमार पोद्दार | — सदस्य |
| 3. श्री सी. राजशेखर | — सदस्य |
| 4. श्री प्रतीक शर्मा, उप-कुलपति, डी.टी.यू., राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार | — सदस्य |

5. प्रधान सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — सदस्य
 6. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, रा.राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — सदस्य
 7. प्रधान सचिव, उच्च शिक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — सदस्य सचिव
- (पदानुसार)

उपरोक्त समिति का कार्यकाल इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से शुरू से होकर तीन वर्ष का होगा और अध्यक्ष का कार्यकाल समिति के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उप-राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
डा० दिलराज कौर, प्रधान सचिव (उच्च शिक्षा)

DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 27th August, 2026

F. No. DHE-D011/1/2026-GGSIPUBranch/325644.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of The Delhi Professional Colleges or Institutions (Prohibition of Capitation Fee, Regulation of Admission, Fixation of Non-Exploitative Fee and Other Measures to Ensure Equity and Excellence) Act, 2007, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby constitutes the following Admission Regulatory Committee for the purpose to regulate the procedure of admission in privately managed institutions offering different courses in the National Capital Territory of Delhi and to perform the functions assigned to it in the Act, namely:

- | | | |
|---|---|---------------------------|
| 1. Sh. Yogender Chaudhry, IRS (Retired) | - | Chairperson |
| 2. Dr. Suresh Kumar Poddar | - | Member |
| 3. Sh. C. Rajasekhar | - | Member |
| 4. Sh. Prateek Sharma, Vice-Chancellor, DTU, Delhi | - | Member |
| 5. Secretary, Department of Technical Education, GNCT of Delhi | - | Member |
| 6. Secretary, Department of Health, Govt. of NCT of Delhi | - | Member |
| 7. Secretary, Department of Higher Education, Govt. of NCT of Delhi | - | Member |
| | | Secretary
(ex-officio) |

The term of the above committee shall be three years commencing from the date following this publication and the term of Chairperson shall be co-terminus with the term of the committee.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

Dr. DILRAJ KAUR, Pr. Secy. (Higher Education)